PMFBY

Slide 1: दो किसान आपस में बातें करते हुए एक-एक बोरा बीज का अपने कंधो पर डालकर जा रहे हैं।

बातें:

पहला किसान: भय्या इस बार अच्छा बीज सस्ते दाम में मिल गया।

दूसरा किसान: हां भय्या इस बार बीज अच्छा मिलने कि वजह से, फसल बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, और मुनाफा भी अच्छा होगा।

Slide 2: एक किसान खेत में लहलहाती अपनी फसलों को देख रहा है। तभी एक और किसान आकर पहले किसान से कहता है।

दूसरा किसान: भय्या इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है।

पहला किसान: हा भय्या मैंने कहा था ना, कि इस बार बीज अच्छा मिला है, देखो फसलें कितनी अच्छी हुई हैं।

Slide 3: शाम का समय है। तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही है।

Slide 4: सुबह का समय है। खेतों में पानी भरा है। फसल डूब गयी है। किसान ये सब देखकर रो रहा है। तभी वहाँ एक और किसान आता है (जिसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फसल बर्बाद होने के बाद भी वो ज़्यादा परेशान नहीं है।) और पहले वाले किसान से कहता है,

दूसरा किसान: कि क्या हुआ भय्या, बहुत परेशान लग रहे हो।

पहला किसान: कल रात अचानक आई बरसात की वजह से मेरी पूरी फसल का विनाश हो गया। में बर्बाद हो गया।

दूसरा किसान: संयम रखो भय्या। भगवान् सब ठीक करेगा। (ये बात कहते हुए पहले किसान के चेहरे पर ज़्यादा परेशानी के भाव नहीं दिख रहे हैं। इस बात को पहला किसान भांप लेता है और सोचता है कि अकस्मात् बारिश होने की वजह से फसल तो इसकि भी बर्बाद हुई है , नुकसान इसका भी हुआ है , परन्तु इसके चेहरे पर ज़्यादा परेशानी के भाव नहीं दिख रहे हैं , ये ज़्यादा व्याकुल नहीं दिख रहा है, वो दूसरे किसान से पूछता है,)

पहला किसान: भय्या फसल तो तुम्हारी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गयी है, परन्तु तुम ना तो ज़्यादा व्याकुल दिख रहे हो न ही परेशान दिख रहे हो।

दूसरा किसान: भय्या मैंने पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करा लिया था। ये योजना फसलों को स्थानीय आपदा तथा प्राकिर्तिक आपदा से होने वाले नुकसान से किसानों को मुनासिब मुआवज़ा दिलाने में मदद करती है।

पहला किसान: भय्या हमने तो इस योजना के बारे में सुना ही नहीं है। ज़रा विस्तार से बताओ।

Slide 5: (दोनों किसान एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर बातें शुरू करतें हैं, तभी वहां और किसान भी आकर उनके सामने बैठ जाते हैं।)

दूसरा किसान: अच्छा तो सुनो भय्या: -जैसे की हम सब जानते हैं की जब सूखा पड़ता है, बाढ़ आ जाती है, या सैलाब आ जाता है, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, और बिजली, तूफ़ान, ओले, चक्रवात, आंधी, बवंडर जब आते हैं तब किसी भी तरह की फसल बीमा योजना ना होने के कारण हम किसानों को कितना नुकसान होता है।

पहला किसान: हां भय्या ये तो तुमने सही बात कही।

दूसरा किसान: केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एक नयी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है। जिसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं, ताकि प्राकृतिक आपदा तथा स्थानीय आपदा के चलते फसलों को होने वाले नुकसान से राहत मिल सके।

पहला किसान: भय्या इस योजना में किस तरह के किसान शामिल हो सकते हैं?

दूसरा किसान: इस योजना के तहत कर्जदार किसान समेत बंटाईदार किसान तथा काश्तकार किसानों सहित सभी अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। ऋणी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य रूप से लागू होती।

पहला किसान: सरकार और किस तरह से किसानों को सहायता प्रदान करती है इस योजना में।

दूसरा किसान: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल क्षति / अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली क्षति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पहला किसान: भय्या किस प्रकार से सरकार हम किसानों को इस योजना में हमारी फसल क्षति में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

दूसरा किसान: इस कवर के तहत केवल वे ही किसान वित्तीय सहायता के पात्र होंगे जिन्होंने बीमित जोखिम की घटना से पहले अपना पंजीकरण इस योजना में करा लिया हो तथा प्रीमियम / प्रीमियम का भुगतान अपने बैंक खाते से कर दिया हो। तभी किसी भी प्रकिर्तिक आपदा जैसे असफल बुआई, रोपण जोखिम, फसल मौसम के मध्य में हानि, कटाई उपरांत आपदा एवं स्थानीय आपदा के आने से नष्ट हुई फसल का मुआवज़ा हम किसान इस योजना से प्राप्त कर सकते हैं।

पहला किसान: लेकिन भय्या मैंने तो पहले कभी भी बैंक से किसी भी तरह का ऋण नहीं लिया, तो मैं कैसे इस योजना का हिस्सा बन सकता हूँ?

दूसरा किसान: भय्या इस योजना से जुड़ने के लिए ये बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है कि तुमने पहले कभी बैंक से किसी तरह का कोई ऋण लिया हो। इस योजना से कोई भी ऋणमुक्त किसान भी जुड़ सकता है। यह योजना बंटाईदार किसान तथा काश्तकार किसान के लिए भी है।

पहला किसान: भय्या इस योजना का लाभ हम किसान भाई कैसे प्राप्त क्र सकते हैं?

दूसरा किसान: भय्या इसके लिए तुमको अपना नामांकन प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में कराना होगा।

पहला किसान: भय्या इस योजना में नामांकन मुफ्त है या कोई फीस देनी पड़ती है?

दूसरा किसान: इस योजना का लाभ उठाने के लिए नामांकन मुफ़्त है।

पहला किसान: अब इतनी जानकारी दे दी है तो ये भी बता दो भय्या की इस योजना का लाभ उठाने के लिए कैसे नामांकन किया जाता है।

दूसरा किसान: भय्या इस योजना में नामांकन करने के लिए दो तरीके हैं। एक है ऑफ लाइन और दूसरा है ऑनलाइन।

पहला किसान: दोनों तरीकों में किस तरह से नामांकन किया जाता है?

दूसरा किसान:

ऋणी किसानों को केवल बैंकों के माध्यम से नामांकित किया जाता है क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मौसमी फसल ऋण लेने वाले किसानों के लिए बीमा अनिवार्य है। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) किसानों को पंजीकृत करने में शामिल हैं। कर्जदार किसानों के लिए प्रीमियम उनके कृषि ऋणों के विषमता में दिया जाता है।

गैर-ऋणी किसान दो तरीकों से अपना नामांकन कर सकते हैं। एक है ऑफलाइन दूसरा है ऑनलाइन

ऑफ लाइन आवेदन करने का तरीका: आपके नजदीक जो भी बैंक है उस बैंक में जाकर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pradhan mantra fasal bima yojana) का फॉर्म लेकर वहीं पर जमा कर दीजिए या किसी भी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) में जाकर अपना नामांकन करवा सकते हो।

ऑन लाइन आवेदन करने का तरीका: प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के लिए बड़ी सरलता के साथ ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। इसका वर्णन नीचे किया जा रहा है।

- इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए इस http://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा है। लिंक पर जाने के बाद जो पेज खुलेगा उस पेज में आपको सबसे पहले "किसान कॉर्नर – स्वयं द्वारा फसल बीमा के लिए आवेदन करें" लिखा हुए दिखेगा। जिस पर किल्क करना होगा।

- किल्क करने के बाद आप से अकाउंट बनाने को कहा जाएगा, जिसके लिए आपको "गेस्ट फार्मर पर क्लिक करना होगा। किल्क करने के बाद http://pmfby.gov.in/farmerRegistrationForm ये लिंक खुलेगा और इस लिंक पर आप से पूछी गई इनफार्मेशन जैसे नाम, पता और बैंक अकाउंट डिटेल्स को भरना होगा। ये सभी डिटेल्स भरने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी।

- रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद, लॉग इन http://pmfby.gov.in/ पर जाकर अपना पंजीकृत फोन नंबर भरकर लोगिन किया जा सकेगा।

इस तरह से फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है।

पहला किसान: भय्या फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या कागजात चाहिए?

दूसरा किसान:

- ✓ आवेदक का एक फोटो
- ✓ आधार कार्ड
- ✓ किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट)
- ✓ किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- ✓ अगर खेत आपका खुद का है तो खेत का खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर जरूर साथ लें।
- ✓ खेत पर फसल बोई है, इसका प्रूफ। प्रूफ के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से एक पत्र लिखवाकर जमा कर सकते हैं। हर राज्य में ये व्यवस्था अलग अलग है। नजदीकी बैंक जाकर इस बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।
- ✓ अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल बोई गई है, तो खेत के असली मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी साथ जरूर लें। इसमें खेत का खसरा नंबर / खाता नंबर जरूर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए।
- ✓ अगर आप चाहते हैं कि फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जाए, तो एक कैंसिल्ड चैक (Cancelled Cheque) भी लगाना जरूरी होगा।

पहला किसान: लेकिन भय्या एक ज़रूरी बात तो अभी तक बताई ही नहीं तुमने, की इस योजना में कौन कौन सी फसलें शामिल की हैं सरकार ने?

दूसरा किसान: हाँ भय्या ये तो बहुत ज़रूरी जानकारी है। तो सुनो भय्या। सरकार ने इस योजना में खरीफ़, रबी, वाणिज्यिक फसलें तथा बागवानी फसलों को शामिल किया है।

पहला किसान: भय्या इन फसलों पर प्रीमियम या फीस कितनी देनी होगी?

दूसरा किसान: खरीफ़ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5%, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होगा।

पहला किसान: भय्या ये तो बहुत कम है।

दूसरा किसान: हां भय्या योजना की प्रीमियम दर बेहद कम रखी गयी है ताकि किसान इसकी किस्तें आसानी से वहन कर सकें।

पहला किसान: भय्या इनमें किस मौसम में कितनी फसलें शामिल की गयी हैं।

दूसरा किसान: खरीफ के मौसम में करीब 35 से 40 फसलें, रबी के मौसम में करीब 35 फसलें शामिल की गयी हैं।

पहला किसान: भय्या क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई अंतिम तारीक भी है?

दूसरा किसान: हां भय्या इस योजना का लाभ लेने के लिए खरीफ़ की फ़सल में 31 जुलाई तथा रबी की फ़सल में 31 दिसंबर योजना में नामांकन करने की अंतिम तारीखें हैं।

पहला किसान: भय्या इस योजना में किस तरह के जोखिम शामिल किये हैं सरकार ने?

दूसरा किसान: भय्या इस योजना में प्रकिर्तिक आपदा तथा स्थानीय आपदा को शामिल किया गया है जो किसानों को उनके फसल के नुकसान का मुनासिब मुआवज़ा दिलाने में मदद करती है।

पहला किसान: भय्या ये सारी आपदाएं ज़रा विस्तार से बताओ, हमारी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है।

दूसरा किसान: असफल बुआई जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, भूस्खलन, प्रकिर्तिक आग, तूफ़ान, ओले, चक्रवात।

पहला किसान: और भय्या ये मध्यावर्ती आपदा क्या होती है?

दूसरा किसान: मध्य फसल के दौरान मौसम की प्रतिकूल परिस्तिथि जैसे बाढ़, आकाल, लगातार सूखे दिन दिन, कीट, और रोग का हमला, भूस्खलन, प्राकिर्तिक आग, बिजली गिरना, आंधी तूफ़ान, चक्रवाद, आदि के कारण अनुमात उपज के नुकसान से हुए नुकसान से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

पहला किसान: भय्या मान लो कि फसल काटने के बाद सूखने के लिए खेत में है और तब अक्समात बरसात हो जाए तब क्या प्रावधान हैं हम किसानों के नुकसान से बचने के लिए इस योजना में?

दूसरा किसान: बे मौसम बरसात द्वारा कटाई के उपरान्त हुए नुकसान फसल कटाई के उपरान्त अधिकतम दो सप्ताह तक कटी एवं खेत में सूखने के लिए फैलाई फसल यदि बे मौसम बरसात एवं चक्रवात के कारण नष्ट होती है तो कर्षक के खेत को बीमा इकाई मानकर क्षतिपूर्ति की गड़ना की जाएगी।

पहला किसान: वाह भय्या ये योजना तो हम किसानों के हित में बहुत लाभकारी लग रही है। और बताओ इस योजना के बारे में।

दूसरा किसान: भय्या इस योजना में स्थानीय आपदा को भी शामिल किया गया है।

पहला किसान: भय्या उसमे क्या - क्या क्या जोखिम शामिल हैं?

दूसरा किसान: योजना के अंतर्गत स्थानीय आपदा जैसे ओला गिरना, भूस्खलन, बादल फटने, बिजली गिरने से, प्रकिर्तिक आग या जल भराव होने पर बीमित किसानों को व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

पहला किसान: भय्या एक बात और बताओ की अगर फसल बीमा योजना लेने के बाद मुझे खेती किसानी में यदि कभी कोई परेशानी हुई तो में किस्से और कैसे इसकी शिकायत करूंगा।

दूसरा किसान: यदि किसान को उसकी फसल में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो वह इसकी सूचना अपने नज़दीकी बैंक में, बीमा कंपनी में, या csc के यहाँ पर कर सकता है।

किसान किसी भी तरह की अपनी शिकायत ऑनलाइन के जरिए भी कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें बस http://pmfby.gov.in/ इस लिकं पर दिए गए कंप्लेंट सेक्शन पर जाना होगा। इस सेक्शन पर जाने के बाद अपना नाम, फोन नंबर, ई मेल आईडी और अपनी कंप्लेंट लिखनी होगी और फिर सबमिट बटन पर किल्क करना होगा।

पहला किसान: वाह भय्या ये योजना तो किसानो के हितों को धयान में रखते हुए बनायी गयी है, में भी अब अपना पंजीकरण इस योजना में करवाऊंगा ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी तरह की प्रकिर्तिक आपदा की वजह से मुझे दोबारा से कभी भी वित्तये घाटा ना हो।

धन्यवाद भय्या।

NOTE: line shown in GREEN COLOUR are for picture format in background of frame (no text).